संख्या– 1115 / 26–2–2010–100(69) / 02

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ

समाज कल्याण अनु0–2 लखनऊःदिनांक 08 अप्रैल, 2010

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–80 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की आयोजनागत पक्ष की योजना राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत किए गए आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2229 / स0क0 / एपएसएपी / 2010, दिनांक 2–04–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–951 / दस–2010– 231 / 2010, दिनांक 26–3–2010 में जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–80 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की आयोजनागत पक्ष की योजना राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत किए गए आय–व्ययक प्राविधान रू0 1140.0123 करोड़ के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 5,70,00,61,000 / – (रू0 पॉच अरब सत्तर करोड़ इकसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

1– उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञापसं0–बी–1–951 / दस–2010–231 / 2010, दिनांक 26–3–2010 में उल्लिखित शर्तो / नियमों तथा इस हेतु शासन द्वारा समय–समय पर जारी वित्तीय नियमों एवं आदेशों तथा मितव्ययिता से संबंधित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय ।

2– उक्त योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त होने वाले केन्द्रांश की प्रत्याशा में उक्त स्वीकृति निर्गत की जा रही है । अतः केन्द्रांश प्राप्त होने पर निदेशक, समाज कल्याण द्वारा धनराशि का समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा ।

3– गत वित्तीय वर्ष 2009–10 के स्वीकृत लाभार्थियों की संख्या के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि आगणित करके एकमुश्त रूप से एक ही आदेश जनपदों को तत्काल निर्गत की जायेगी। किसी भी दशा में इसका विचलन शासन की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जायेगा ।

2–

4-- विभागाध्यक्ष अनुदान के अंतर्गत होने वाले संभावित व्यय की फेजिंग के आधार पर अनिवार्य रूप से वित्त विभाग तथा शासन को उपलब्ध करायेंगे, जिसमें राज्य स्तर पर आहरण निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो ।

4-- बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बी--एम--13 पर नियमित रूप से व्यय विवरण प्रशासकीय विभाग के साथ--साथ वित्त विभाग (संबंधित व्यय नियंत्रण अनुभाग) को भी प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाय ।

3-- उपर्युक्त योजना पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010--11 के आय--व्ययक में अनुदान संख्या--80 के ''लेखा शीर्षक--2235--सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण--02--समाज कल्याण--आयोजनागत--104--वृद्ध अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण--05--राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम--0501--राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना--20--सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता'' के नामे डाला जायेगा ।

4-- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय--ज्ञाप संख्या--बी--1--951/दस--2010--231/2010, दिनांक 26--3--2010 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव।

पृ0सं0--1115 (1)/26--2--2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. एन0एस0ए0पी0 डिवीजन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार,नईदिल्ली 2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम/आडिट) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग--3/वित्त (बजट), अनुभाग--1/2 ।
5. राज्य योजना आयोग अनुभाग--1/2
6. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
7. निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन लखनऊ।
8. आदेश पंजिका /गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(भवनाथ)
विशेष सचिव ।

CC
रा. औ. का.
08/04/2010